[निजी प्रसार के लिए]

अंक ३४ नई दिल्ली, दिसम्बर २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

श्री ईश कुमार

पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एण्ड डी.)में निदेशक, प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत, आंध्र प्रदेश कैडर के आई.पी.एस. श्री ईश कुमार से प्रशिक्षण एंव पुलिसिंग के अन्य मुद्दों पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिए गए साक्षात्कार का प्रथम भाग इस अंक में प्रस्तुत है।

सर, सबसे पहले अपने कार्यकाल के बारे में संक्षिप्त में बतलाएं ताकि आपके अनुभवों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके।

मैंने पहले तीन साल मणिपुर में गुजारा है। उसके बाद १९८८ में शादी के बाद उसी आधार पर मेरा कैडर आन्ध्र प्रदेश में हस्तांतरित हो गया। १९८९-२००७ तक (१८ वर्षों तक) मैंने आ.प्र. में काम किया। सबसे पहले ३ ज़िलों करीम नगर, महबूब नगर और विजयवाड़ा में एस. पी. के पद पर रहा। फिर, हैदराबाद में डी.सी.पी. और कमिश्नर ट्रैफिक रहा। फिर मैंने एक बटालियन बनाया। उसके बाद निजामाबाद में डी.आई.जी. का कार्यभार संभाला। इसके बाद एक नया ज़ोन वारंगल बना जोकि पूरे देश में जितने भी नक्सल है उनका ५० प्रतिशत यहीं से जाते हैं। फिर मैं सी.आई.डी. में भी रहा और अंत में प्रदेश में मेरी अंतिम नियुक्ति आई. जी. ट्रेनिंग के पद पर रही। उसके बाद मैं भारत सरकार के साथ डेप्यूटेशन पर आया और २००७ में नारकोटिक्स कंट्रोल में नियुक्त हुआ। अगस्त २०१० में पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एण्ड डी.) में आ गया। दो वर्षों तक मैं नेशनल पुलिस मिशन के निदेशक के रूप में रहा और अब अगस्त २०१२ से निदेशक ट्रेनिंग के पद पर कार्यरत हूँ।

सर, नेशनल पुलिस मिशन के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास एंव कैरियर प्रगति से जुड़े माइक्रो मिशन की क्या सिफारिशें हैं?

वास्तव में, माइक्रो मिशन (एम.एम) के कोई एक समय में दी गई सिफ़ारिश नहीं होती है। दरअसल, पिछले तीन वर्षों में एम.एम.–१ के अंतर्गत आने वाली बड़ी परियाजनाओं में एक था 'भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता' जिसमें जहाँ भी गड़बड़ी की सम्भावना होती थी वहाँ पर तकनीक के सहयोग से मानवीय मनमानी को हटाने का प्रबन्ध किया गया और यह तरीका लगभग आधे राज्यों में अपनाया भी गया है। इसी प्रक्रिया को अपनाकर उत्तर प्रदेश जहाँ २००७ में भर्ती में इतनी गड़बड़ी हुई थी करीब २० आई.पी.एस. अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था वहीं २००६ में ३५००० कांस्टेबलों की स्वच्छ भर्ती की गई। इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई है। इसके अलावा दो और परियोजनाएं है जिस पर काम हो रहा है। एक है – 'कैरियर में उन्नति' इसके अंतर्गत इस मुद्दे को ठीक करने की कोशिश की जा रही है जहाँ अधिकतर कांस्टेबल के पद पर सेवा में आते हैं और ३० साल की सर्विस के बाद भी उसी स्तर पर सेवानिवृत होते हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है पदोन्नति के अवसर का न होना और कई स्तरों पर सीधे भर्ती होना। जबकि इंगलैंड में हर कोई कांस्टेबल के पद पर बल में आता है लेकिन उच्च पदों पर सेवानिवृत होता है क्योंकि वहाँ विभिन्न स्तरों पर भर्ती नहीं होती है। हमने यह प्रस्ताव रखा है कि जो कोई भी अगर कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो तो कम से कम सब इंस्पेक्टर के पद पर सेवानिवृत हो और उसी प्रकार अगर कोई सब–इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो तो कम से कम डी.एस.पी. बन कर सेवा निवृत हो। यहाँ तक कि इन्हें आई.पी.एस. परीक्षाओं में भी आने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। आई.पी.एस. परीक्षाओं में कुछ ५-१० प्रतिशत कोटा डायरेक्ट भर्ती सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों के लिए भी हो जाए। इसके लिए कुछ कांस्टेबलों के पदों को हेड कांस्टेबलों में और कुछ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों के पद को सब इंस्पेक्टर में बदलना पड़ेगा।

इसके दो फायदे होंगे, एक तो कैरियर प्रोग्रेस के अवसर बढ़ जाएंगे और दूसरा प्रोमोशन के अवसर के कारण यह व्यवस्था प्रेरक भी होगी। अगर कोई हमें यह कहता कि आप ए.सी.पी के पद पर ज्वायन करेंगे और वैसे ही सेवानिवृत भी होंगे तो क्या प्रेरणा होती सेवा में बने रहने कि?

सर, क्या इसके लिए सब–इंस्पेक्टर स्तर पर भर्ती समाप्त की जाने वाली है?

नहीं, भर्ती समाप्त नहीं करने वाले हैं लेकिन जैसे कई राज्यों में ३० और ७० का अनुपात है उसे बढ़ाकर हम प्रत्येक को ५० का कर सकते हैं। फिर, धीरे–धीरे प्रोमोशनल कोटा को उससे अधिक बढ़ा सकते हैं और डायरेक्ट भर्ती कम कर सकते हैं। इसका एक दूसरा और सबसे बड़ा लाभ मेरे अनुसार यह होगा कि जहाँ छोटे इलाकों के थानों में एक ही सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी होता है जो कि एस.एच.ओ. होता है वह अगर किसी काम से अनुसंधान आदि पर निकल गया हो तो थाने पर आपको मुंशी के अलावा कोई बात करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए, जब अधिक संख्या में एस.आई. और ए.एस.आई. बना देंगे तब अधिकारी के स्तर के लोग थाने और क्षेत्र दोनों में उपलब्ध होंगे जोकि परिस्थितियों को संभाल सकेंगे और लोगों से बातचीत कर सकेंगे। इसके अलावा तीसरा फायदा यह है कि एक जाँच अधिकारी के पास आज करीब २०० केस की जाँच का भार एक ही समय में रहता है जबकि बी.पी.आर एण्ड डी. ने एक समय में एक अध्ययन किया था जिसके अनुसार एक जाँच अधिकारी को साल में ५० से अधिक केस नहीं करने चाहिए। ऐसे में वर्तमान में यह आंकड़ा किसी जाँच अधिकारी द्वारा पूरा करना अव्यावसायिक है। दूसरी ओर सी.बी.आई. के एक जाँच अधिकारी को साल में केवल डेढ़ केस की जांच करनी होती है। अब इतनी कठिनाई में इस प्रकार हमारे पास जाँच अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो कार्यभार कम होगा।

सर, जब हम जाँच अधिकारियों पर कार्यभार और कानून व्यवस्था बनाये रखने के दायित्व की बात कर रहे हैं, तो आपके विचार में दोनों को देखने वाली पुलिस को विभाजित करना क्या ठीक नहीं रहेगा?

जी हाँ, यह दूसरा मुद्दा है जिस पर एम. एम.–१ में बात हो रही है। लेकिन, यह सीधे पुलिस की संख्या से जुड़ा हुआ है और इसमें जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा था कि इसे पहले उन स्थानों पर लागू किया जाए जहाँ १० लाख से अधिक आबादी है। इस प्रकार शहरों में इसे लागू कर सकते हैं।

इसके अलावा कई स्थानों पर यह विभाजन पहले से ही है जैसे कि बॉम्बे में कुछ क्राईम इंस्पेक्टर हैं जो केवल अनुसन्धान का काम देखते हैं, उसके अलावा हैदराबाद में भी क्राईम स्क्वायड बने हुए हैं जिसके अंतर्गत एक इंस्पेक्टर और ५-६ कांस्टेबल होते हैं और वे विशिष्ट प्रकार के केसों की जाँच करते हैं।

लेकिन कई केसों में जहाँ कानून व्यवस्था और जाँच दोनों मामले एक साथ जुड़े हुए हैं वहाँ दोनों कामों के लिए अलग अलग विंग से पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता है। इसके लिए हमने प्रस्ताव रखा है कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार का विभाजन किया गया है उसकी सफलता का आकलन किया जाए और फिर उसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए।

इसके अलावा पुलिसिंग की संरचना का पुनः गठन और पुलिस कल्याण के बारे में भी एम.एम.–१ में प्रस्ताव रखे गए है। इसके अलावा ५ और माईक्रो मिशन हैं।

२० वर्षों के अपने कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आपके द्वारा की गई कोई पहल जिसका अनुभव आप पाठकों से बांटना चाहेंगे ताकि उन्हें सीख मिले?

मैं, अपने द्वारा ही नहीं बल्कि साकारात्मक परिणाम दर्शाने वाले एक प्रैक्टिस के बारे में भी बताना चाहूँगा जिसे आंध्र प्रदेश में श्री उमेश शराफ़ ने शुरु किया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश में २००५ में 'कोर्ट मॉनीटरिंग सिस्टम' शुरु किया था। इसमें अगर किसी आई.ओ. की गवाही है और वह उपस्थित नहीं हो पाता है, या अगर जमानत की अर्ज़ी लगी है तब सरकारी वकील से मिलकर जमानत जल्दी प्राप्त की जाती थी क्योंकि वह विरोध नहीं करता था, आदि। पहलुओं पर निगरानी करने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर की मदद ली और हर कोर्ट से यह सूचना एकत्रित की कि किस तारीख़ को किस केस में क्या होना है चाहे वह केस किसी भी थाने का हो। यह सूचना दो दिन पहले कमिश्नर के ऑफिस में एस.एम.एस. द्वारा पहुँचने लगी कि उक्त थाने के उक्त केस में उक्त गवाह को उक्त तारीख़ को उपस्थित कराना है। अब अगर कमिश्नर के कार्यालय से दो दिन पहले ही सूचना एस.एच.ओ. को पहुँचती है तो उसके पास किसी भी प्रकार का विकल्प/बहाना नहीं बचता है कि वह सूवना के अनुसार केस पर कार्यवाही न करे। इसके पहले हर थाने से कम से कम एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को जिला अदालत, सत्र अदालत, मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होना ही होता था, अब इसकी आवश्यकता नहीं थी, इस प्रकार मैन पावर की बचत हो गई।

शेष पृष्ठ २ पर .....

बूझो और जीतो-१२

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत किये हुए एक वर्ष हो गया है और इसके प्रति आपकी रुचि के कारण हम इसे अगले वर्ष भी जारी रखने वाले हैं।

इसके अंतर्गत पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पाँचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा जैसा कि अभी भी होता है। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. भारतीय दण्ड संहिता १८६० के अंतर्गत उम्रकैद के दण्ड में अधिकतम कितनी अवधि की सज़ा हो सकती है?

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अदालत आरोपी के बचाव के लिए सरकारी खर्चे पर वकील नियुक्त कर सकती है?

३. एकान्त कारावास का दण्ड अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है?

४. डकैती के अपराध को करने के लिए कितने लोगों का सम्मिलित होना आवश्यक है? क्या तीन लोगों के द्वारा की गई चोरी को डकैती कहा जा सकता है?

५. क्या आरोपी शिनाख्त परेड कराने से मना कर सकता है? यदि 'हां', ऐसा किस प्रावधान में कहा गया है?

बूझो और जीतो – ६ का परिणाम

सितम्बर २०१२ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. *विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (१९९७)* के केस में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ दिशा–निर्देश जारी किये थे।

२. द.प्र.सं. की धारा ५३(२) के अंतर्गत किसी महिला की डॉक्टरी जाँच एक पंजीकृत महिला चिकित्सक द्वारा या उसके निरीक्षण में ही किया जा सकता है।

३. *मथुरा बलात्कार* के केस के बाद १९८३ में बलात्कार के प्रावधान का वर्गीकरण करके भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत इसमें धारा ३७६ क, ३७६ ख, ३७६ ग और ३७६ घ जोड़ दिया गया। इसके अलावा भा.सा.अधि. के अंतर्गत में धारा ११४ क जोड़ दिया गया जिसके अनुसार यदि बलात्कार की पीड़ित महिला अपनी 'मर्जी' से संभोग न करने की बात कहती है तब, अदालत इसकी बात को सच मानेगी।

४. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ११३ ख के अंतर्गत विवाह के ७ वर्ष के अंतर्गत यदि महिला की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो तब, बचाव पक्ष पर यह दायित्व होगा कि वह यह सिद्ध करे कि यह मृत्यु दहेज हत्या नहीं है।

५. द.प्र.सं. की धारा ५१(२) के अंतर्गत किसी महिला की शारीरिक तलाशी केवल किसी दूसरी महिला द्वारा शालीनता का सख़्ती से ध्यान रखते हुए ली जा सकती है।

विजेता

इस बार किसी भी प्रतिभागी के सभी उत्तर सही नहीं थे, इसलिए विजेता का स्थान रिक्त है।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, ***लोक पुलिस***
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-१७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८९६४८८
ई–मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिसिंग में प्रदर्शन सूचक लाना क्यों आवश्यक है?

आज की तारीख़ में पुलिस के कार्यनिष्पादन को अनुचित तरीके से मापा जाता है। बाहरी तौर पर जनता पुलिस से बेहद असंतुष्ट रहती है और आंतरिक स्तर पर पुलिस रैंक और फाईल इसलिए असंतुष्ट रहती है क्योंकि कार्य निष्पादन का मुख्य पैमाना इस बात से तय किया जाता है कि कितने अधिक केस दर्ज किये गये और कितने केसों को हल किया गया। इस पद्धति में इतने दोष है कि उन सबको दोहराना भी कठिन है। केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि केस दर्ज न होने के कारण, इस प्रकार अपराधों का आँकड़ा लेना वास्तविकता से कोसों दूर है। केस दर्ज न करने का प्रचलन पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है और देशवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और न्याय तक पहुँचने से दूर करता है। पुलिस द्वारा इंकार करने की जानकारी से कई और परिणामों पर आघात पहुँचता है जिसमें जनता का उनपर से विश्वास का उठ जाना, अलगाव और आत्म सहायता तथा दूसरे अधिक प्रभावकारी स्रोतों से सहायता मांगना शामिल है। कुछ विशेष वर्ग के लोग जिसमें गरीब लोग सबसे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इससे पक्षपात का बोध होता है और राज्य से अलगाव तथा लगातार बढ़ते प्रत्यक्ष विघ्न दिखाई पड़ते हैं। जहाँ अपराध न दर्ज करने का कोई बहाना नहीं हो सकता, ऐसे में हल किये गये अपराधों की संख्या पर ध्यान देना जबकि 'हल करने' का अर्थ भी साफ़ नहीं है, इस प्रवृति के कारण अपराधों का दर्ज न करना लगातार जारी है और इसने अपराधियों को अधिक मज़बूत बना दिया है और उस बल का मनोबल गिरा दिया है जोकि संख्या में बहुत कम है, अधिकतर क्षमता से अधिक काम के बोझ तले दबी है जिसे प्रायः कम वेतन दिया जाता है और जो लगातार खतरनाक कार्यों से जूझती रहती है।

वर्तमान समय में बढ़ती हिंसा और इस कारण बढ़ती सुरक्षा की मांगों तथा पुलिस के कार्य निष्पादन पर बढ़ते असंतोष ने इस बात की आवश्यकता को जगाया है कि पुलिस के कार्य निष्पादन को अधिक न्यायसंगत तरीके से जाँचा जाए और जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले और उनका कार्य अधिक सोद्देश्य हो सके।

गुणात्मक, न कि पूरी तरह संख्यात्मक, अपराध दर्ज करना एक बिन्दु सूचक के रूप में हो सकता है जो पुलिसकर्मियों को साल दर साल बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रेरणा प्रदान करे और विभागीय स्तर पर एक ओर अपराधों को हल करने के लिए दबाव डालकर कबूली करवाने तथा दूसरी ओर अपराधों के बारे में अज्ञानता रखने की आंतरिक सभ्यता में साकारात्मक सुधार आ सकता है। सालों साल अंतः स्थापित बहुमानदण्ड सूक्ष्म सूचक के उपयोग के कई सन्निहित प्रभाव होते हैं। अपराध को मापने के अलावा सुधार लाने में नीतियों को तेज़ करना और प्राथमिकताओं पर ध्यान देना, प्रबन्धन प्रचलनों को संगत बनाना, दुर्लभ संसाधनों पर अधिक लाभकारी तरीके से निशाना साधना, जनबल की तैनाती को सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत तथा समूह के कार्य–निष्पादन को अधिक न्यायसंगत तरीके से मापा जाना शामिल है।

आज के एक आयाम वाले अपराधों की संख्या पर आधारित पुलिसिंग के आकलन को अतिशीघ्र बदलने की आवश्यकता प्रकाश सिंह के केस में भी पुलिस सुधार पर दिये गये संवेग में बताया गया है। नवीनतम स्थापित राज्य सुरक्षा आयोग द्वारा निर्धारित नीतियों की सफलता भी पुलिस के कार्यनिष्पादन में सुधार द्वारा परिवर्तित होगा जोकि कई सूचकों जैसे कि जन संतुष्टि, सुरक्षा बोध में बढ़ोतरी और महिलाओं तथा दूसरे वेदनीय समूहों की सुरक्षा और कठोर सूचक जैसे कि लगातार होने वाले साम्प्रदायिक हिंसा पर रोक से प्रदर्शित होगा।

पुलिस कार्य–निष्पादन सूचक क्या करते हैं?

कार्य–निष्पादन सूचक एक समान मानदण्ड तय करते हैं, वे प्राथमिकताओं को तय करते हैं, लम्बी अवधि के लिए योजना बनाने में सहायता करते हैं, संसाधनों को बांटने में मदद करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस से सम्बन्धित जनता की संतुष्टि मापने में मदद करते हैं।

एक कार्यान्वयन योजना एक अच्छी योजना होगी या नए मुल्यांकन ढ़ांचे को प्रस्तुत करेगी और इसके लिए वृद्धिसम्बन्धी पद्धति को अपनाएगी। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस बल को एक बिल्कुल नए सूचक दल के अनुसार काम करने का बोझ न झेलना पड़े। सूचकों को स्वंय ही बल की अवस्था का ध्यान रखना चाहिए और इसकी कमियों को पीछे हटने या आगे न बढ़ने का कारण नहीं बनाना चाहिए।

सूचक, नए और पुराने दोनों होने चाहिए। प्राथमिकता उन्हें दी जानी चाहिए जिनका कार्यान्वयन सरल हो। ऐसे सूचकों में उन उपायों को सम्मिलित करना चाहिए जो पहले से ही किताबों में हों लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा हो। इस हिसाब से नए के साथ पुराने का समावेश अधिक सरल और स्वीकार्य होगा।

सूचक नए और सरल तो होने ही चाहिए और इसमें यह भी शामिल होना चाहिएः

✯ सूचक और मूल्यांकन रैंक और कर्तव्य के अनुसार विशिष्ट होने चाहिए। यह विवादास्पद है कि पहली कोशिश कांस्टेबुलरी पर हो या पर्यवेक्षण या प्रबन्धन श्रेणी के साथ या सब पर एक साथ।

✯ यह बहुत समय से चर्चा में रहा है कि कार्य–निष्पादन सूचक उस संदर्भ के परे नहीं होने चाहिए जहाँ इसे अपनाया जाना है–इसमें जनता और पुलिस दोनों की परिस्थिति शामिल है। अंतिम निरुपण और परिचय से पहले लम्बे परामर्श होने चाहिए पुलिस बल के भीतर सभी स्तरों पर भी तथा विशेषज्ञों और समुदाय के स्तर पर भी। इन सूचकों पर पुलिस विभाग में हर स्तर पर परामर्श किया जाना चाहिए ताकि जिस संदर्भ में उनसे कार्यान्वयन की अपेक्षा की जा रही है उस पर चर्चा की जाए और इसके अलावा यह सूचक उन्हें कितना स्वीकार्य है वह भी ज्ञात हो सके। इन सूचकों को जनता के साथ भी बाँटा जाना चाहिए ताकि उन्हें यह मालूम हो सके कि उनके फ़ायदे के लिए कुछ अच्छी शुरुआत की जा रही है इससे कार्य–निष्पादन के प्रति नई व्यवस्था में जवाबदेही की धारणा शुरुआती स्तर पर उत्पन्न होगी।

✯ जवाबदेही सबसे पहले कानून के प्रति होनी चाहिए, फिर बल के कार्मिक सिद्धांतों और फिर जनता के प्रति। कानून के प्रति जवाबदेही में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सम्पूर्ण पुलिसिंग की प्रक्रिया और वस्तु संवैधानिक मानकों के अनुसार न्यायोचित है, बल के अन्दर जवाबदेही का मानदण्ड आचरण और नियमों के मानदण्ड पर होना चाहिए और जवाबदेही को जनता की संतुष्टि से मापा जा सकता है– सुधार के बाद जनता का पुलिस पर कितना विश्वास बढ़ा है, जवाब देने के समय में कितनी कमी आई है। ये गौर करने लायक मापदण्ड हैं जिनकी सभी थानों, स्तरों और वर्षों से तुलना की जा सकती है।

✯ जन संतुष्टि एक आम सूचक है जो कि जनता को पुलिस के साथ और पुलिस को जनता के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

✯ इससे बेहद स्थानीय और ज़मीन से जुड़े होने का लाभ भी प्राप्त होगा। हांलाकि, आम जन संतुष्टि का सीमित महत्व होता है लेकिन ऐसे संतुष्टि सर्वेक्षण जो कार्यनिष्पादन के लिए किसी नए सूचक को लागू करने के लिए बनाये जाने वाले हों उन्हें जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के साथ (महिला/अल्पसंख्यक) या किसी विशिष्ट दुराचार में सुधार लाने के लिए डिज़ाईन किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात याद रखने की यह है कि यह ढांचा किसी व्यक्तिगत अधिकारी के लिए नहीं है बल्कि संगठन/संस्थागत सुधार को दर्शाने के लिए है।

✯ एक आधार रेखा (बेसलाईन) बनाने की आवश्यकता है जिसके विरुद्ध उन्नति को मापा जा सके। यह प्रायः अपेक्षित और परिवर्जित रहता है। लेकिन बगैर किसी बेसलाईन या नियंत्रण के किसी सुधार या विकृति को सही नहीं कहा जा सकता है और इसका साक्ष्यिक महत्व भी समाप्त हो जाएगा और एक बार फिर भविष्य पर निर्णय लघुकथाओं और व्यक्तिगत विचारों के आधार पर किया जाएगा।

बेसलाईन के लिए किसी कार्य–निष्पादन सूचक को लागू करने के पहले सर्वे करने की आवश्यकता है। 'नियंत्रण' प्रयोग के लिए नई पद्धति की जाँच करने की आवश्यकता है उनके विरुद्ध जो अब तक अछूते हों। अनछुओं का भी सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है ताकि यह देखा जा सके कि उसमें क्या है और कुछ समय के बाद प्रायोगिक सूचकों का भी आकलन किया जाना चाहिए ताकि सुधारात्मक बदलाव हुआ है या सब कुछ पहले जैसा ही है, यह ज्ञात हो सके।

हालांकि, इन अवयवों के बगैर और एक आधारभूत रेखा की अनुपस्थिति में किसी बदलाव का वास्तविक माप सम्भव नहीं है। इसका महत्व अपने सिद्धांत की शुद्धता को साबित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अन्यथा यह एक रिक्त अभ्यास होगा जो कुछ अधिकारियों की इच्छा और निर्देश पर निर्भर होगा और नए आने वाले अधिकारियों पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे उपाय जो व्यवस्था में दोषरहित होने के सूचक होते हैं, वे सन्निहित हो जाते हैं और उससे पुलिस और उसके बाहर प्रसिद्धि भी आती है और वह भविष्य में उनके लिए सहायक भी होता है।

लोक पुलिस के अगले कुछ अंकों में हम उन कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के ढांचों को प्रस्तुत करेंगे जो विभिन्न देशों द्वारा अपनाये गये हैं। हम इस पर आपके विचारों को भी जानना चाहेंगे। क्या ये अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या इन्हें भारत में अपनाया जा सकता है? इसलिए कृपया हमें अपने विचारों से अवगत करायें।

– नवाज़ कोतवाल

पृष्ठ १ का शेष .....

साथ ही, इसका परिणाम इतना साकारात्मक हो गया कि वहाँ अपराधसिद्धि दर २७ प्रतिशत से बढ़कर करीब ५० प्रतिशत हो गया है। हालांकि, २००६ में उस ज़िले से उनका ट्रांसफर हो गया लेकिन यह व्यवस्था वहाँ आज भी चल रही है और लगातार अपराधसिद्धि दर तकरीबन उसी स्तर पर है। लेकिन, इसी पहल का नकारात्मक पहलू भी है कि उसी प्रदेश में जहाँ ७ वर्षों से यह व्यवस्था इतनी कारगर सिद्ध हुई है बाकी के ज़िलों में इसे नहीं अपनाया गया है। अब हमने एन.पी.एम.–१ के अंतर्गत एक प्रॉजेक्ट बनाकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें हमने एक और पहलू जोड़ा है कि साथ–साथ एस.एम.एस. जारी होगा और शिकायतकर्ता को भी अपने केस की प्रगति के बारे में सूचना प्राप्त हो जाएगी। जबकि, आंध्र प्रदेश में जब मैंने इसे अपने ज़िले में लागू कराया था तब थाने से पोस्टकार्ड जाते थे शिकायतकर्ता को जिसमें उनके केस में क्या प्रगति हुई है जैसे कि–आपके केस में आरोपी को पकड़ लिया गया, आपके केस में सम्पत्ति की वसूली हुई है इसलिए आप थाने में आकर कोर्ट की मदद से उसे ले सकते हैं, जैसी जानकारियां आरोपी को दी जाती थी। हालांकि, इसमें थोड़े पैसे खर्च होते थे लेकिन जब तक मैं वहाँ था विजयवाड़ा में यह व्यवस्था चल रही थी।

इसके अलावा एक और पहल मैंने की थी जब मैं एस.पी. हुआ करता था और जिससे मुझे बेहद संतुष्टि मिलती है कि मैं अपने कार्यालय के बाहर ५०-६० कुर्सियां और पानी के मटके रखवाता था और यह एक खुला दरबार होता था जहाँ कोई भी आकर मुझसे मिल सकता था। फिर, वह अपनी समस्या मुझसे बताते थे और मैं उसी समय वायरलेस पर सम्बन्धित एस.एच.ओ. को उचित कार्यवाही करने का निर्देश देता था जिसके बाद वह शिकायतकर्ता कभी मेरे पास उसी शिकायत के साथ वापस नहीं आता था। फिर, जब मैं डी.आई.जी. बना तब भी मैंने सभी एस.पी. द्वारा सप्ताह में एक दिन कुछ घण्टों के लिए फोन पर जनता की शिकायत सुनने के लिए रखवाया जहाँ कोई भी फोन करके अपनी परेशानी उन्हें बता सकता था। इसी प्रकार स्थानीय टी.वी. चैनल की मदद से सप्ताह में एक दिन मैं एम.सी.डी. कमिश्नर के साथ मिलकर बैठता था और लोगों की आम परेशानियों को हम सुनते थे।

इसके अलावा मैं उस जोन के उन लोगों के साथ मीटींग किया करता था जो नक्सलवाद के कारण किसी न किसी रूप में पीड़ित थे। उनकी सभी प्रकार की समस्याओं को सुनकर उसका हल निकालने की कोशिश की जाती थी–जैसे : बच्चों का स्कूलों में दाख़िला न होना, किसी को पेंशन न मिलना आदि।

तीसरी चीज़ हमने शुरू की थी कि आंध्र प्रदेश में निचले स्तर पर पुलिस एसोसिएशन बनवाने की। इसके अंतर्गत, मैं जिस भी अंचल में आई. जी. के रूप में गया वहाँ एस.पी. के साथ मिलकर हमने पुलिस एसोसिएशन बनवाये। हालांकि, पुलिस यूनियन अवैधानिक है लेकिन एसोसिएशन के रूप में यह कई जगह पर काम कर रही है और इसका साकारात्मक प्रभाव यह है कि इससे पुलिस की ज़मीनी स्तर की समस्याओं को जानने का अवसर मिलता है और इसके अनुसार इस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(इस साक्षात्कार का शेष भाग अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा)

क्या आप जानते हैं ?

इस श्रृंखला के अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय द्वारा ३० नवम्बर २०१२ को *डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस व अन्य बनाम एस. एस. मुथीरम के केस* में महिलाओं के साथ आमतौर पर की जाने वाली छेड़खानी को रोकने के लिए दिये गये निर्देश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है इससे आपके काम में सहायता मिलेगी।

छेड़खानी की घटना पर उच्चतम न्यायालय का निर्देश

वर्तमान समय में संसद, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा विधेयक २०१० पर विचार कर रही है जिसका मकसद है कार्यस्थलों पर महिलाओं को अधिकतर सुरक्षा प्रदान कराना। उस विधेयक के प्रावधान नारी छेड़खानी को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। छेड़खानी को रोकने के लिए किसी उपयुक्त कानून बनाने के पहले ही यह आवश्यक है कि जनहित में हम कुछ दिशा–निर्देश जारी करें ताकि कुछ हद तक इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके। इसलिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किया जा रहा है :–

१. सभी राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी शैक्षणिक संस्थानों, शॉपिंग मौल, बस अड्डों व बस स्टॉप, सिनेमाघरों, मेट्रो स्टेशनों, समुद्री तटों, लोक सेवा वाहनों और पूजा स्थलों के आस–पास सादे कपड़ों में महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात करें ताकि वे छेड़खानी के मामलों पर निगरानी रख सकें और उनका पर्यवेक्षण कर सकें।

२. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आगे यह भी निर्देश दिया जाए कि वे सामरिक अवस्था में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें जोकि अपने आप में निवारक होगा और यदि अपराधी का पता लगाया गया तो उसे पकड़ा जा सकेगा।

३. शैक्षणिक संस्थानों, पूजा स्थलों, पूजा घरों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड आदि के प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में उचित कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि छेड़खानी को रोका जा सके, और अगर उनके पास इसकी कोई शिकायत आती है तो उन्हें इसे नज़दीकी थाने या महिला हेल्प सेन्टर में भेजा जाए।

४. जब भी छेड़खानी की कोई घटना होती है पब्लिक यातायात के साधनों में किसी सवारी के द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा की जाती है, तब इस वाहन के कर्मी दल, पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत करने पर उस वाहन को नज़दीकी थाने में ले जाएंगे और इसकी सूचना पुलिस को देंगे। ऐसा न करने की स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति रद्द कर दिया जाना चाहिए।

५. राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे तीन महीनों के भीतर विभिन्न शहरों और कस्बों में हेल्पलाईन स्थापित करें ताकि छेड़खानी को रोका जा सके।

६. सार्वजनिक स्थलों जिसमें सिनेमाघरों, बस स्टैंड व बस अड्डे, पार्क, पूजा स्थल सार्वजनिक वाहन, बीच आदि भी सम्मिलित हैं, पर उचित बोर्ड लगाये जिसमें छेड़खानी के बारे में सावधान रहने को कहा जाए।

७. राहगीरों और दर्शकों पर भी इस बात की ज़िम्मेदारी आती है कि वे अगर छेड़खानी की घटना देखते हैं तो पीड़िता को इस अपराध से बचाने के लिए नज़दीकी थाने या महिला हेल्पलाईन को सूचित करें।

८. राज्य सरकार और भारत के केन्द्र शासित राज्यों द्वारा जिला कलेक्टर और एस.पी. को निर्देश जारी किया जाए ताकि वे इस प्रकार की छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए उचित और प्रभावपूर्ण उपाय करें।

प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

शान्ति व्यवस्था

शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 52 व 53 में निम्न प्राविधान है:–

धारा ५२ (विधि और व्यवस्था बनाये रखना)

(१) पुलिस जिले के सम्बन्ध मे पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से, ऐसी रीति से जैसी विदित की जाए, निम्नलिखित के सम्बन्ध मे साधारण और विशेष आदेश जारी कर सकेगा–

(क) लोक आमोद–प्रमोद, लोक–मनोरंजन स्थलों का विनियमन और यदि लोक हित में आवश्यक हो तो किसी स्थान को लोक आमोद–प्रमोद और लोक मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के लोक मनोरंजन के लिए किसी स्थान का उन व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, जिनके प्रभावित होने की सम्भावना हो, प्रतिषेध, जिसके कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

(ख) लोक आमोद–प्रमोद, लोक–मनोरंजन या किसी सार्वजनिक सभा के स्थान अथवा जन समूह में प्रवेश और निकास विनियमित करना और सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने की व्यवस्था करना तथा ऐसे स्थानों पर उपद्रव की रोकथाम।

(ग) किसी सार्वजनिक मार्ग, गली या आम रास्ते पर जन समूह और जुलूसों को विनियमित करना तथा ऐसे मार्ग, जिनमें ऐसे जुलूस गुजर सकेंगे, उनका समय निर्धारित करना।

(घ) ऐसे व्यक्ति का, जो किसी मार्ग, गली या आम रास्ते पर कोई जुलूस या किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करना चाहता है, यह कर्तव्य होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित थाने के प्रभारी को सूचित करें।

(ड़) यदि उपरोक्त खण्ड (घ) में उल्लिखित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है या सूचना प्राप्त होने और समाधान होने पर, कि यदि ऐसे जुलूस या जनसमूह को नियंत्रित या विनियमित किये बिना अनुमति दी जाती है, उससे शान्ति भंग होने की सम्भावना होती है, तो वह आवश्यक शर्तें, जिनमें संतोषजनक विनियमन, प्रबन्ध भी शामिल है, विहित कर सकता है। केवल उन्हीं शर्तों पर ऐसा जनसमूह या जुलूस निकाला जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाए, जनहित में ऐसे जनसमूह या जुलूस को प्रतिषेध किया जा सकेगा।

(च) यदि किसी जनसमूह या जुलूस द्वारा उपरोक्त खण्ड (ड़) के अधीन किसी आदेश की उपेक्षा या अवज्ञा की जाती है, तो उसे भारतीय दण्ड संहिता, १८६० के अध्याय आठ के अधीन ''अविधिमान्य'' जनसमूह समझा जायेगा।

(२) तथापि, अपवादिक एंव अपरिहार्य परिस्थितियों में, थाने का भार साधक अधिकारी, सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सहमति से, उपधारा (१) से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करेगा।

(३) पुलिस अधीक्षक, प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित आदेश द्वारा प्रत्येक मकान, दुकान, सार्वजनिक परिसर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किरायेदार अथवा घरेलू नौकर का विवरण प्रस्तुत करें।

(४) जिला पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति से, जो किसी धन सम्बन्धी लाभ के लिए ऐसा कोई भी व्यवसाय, जलसा, प्रर्दशनी, विक्रय, मनोरंजन इत्यादि आयोजित करता है, जिसमे लोक सुरक्षा के प्रयोजन के लिए या लोक शान्ति या व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता हो, तो ऐसा उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत कर सकेगा, जो विहित किया जाए।

धारा ५३ (यातायात का विनियमन)

पुलिस अधीक्षक, मोटर चालको, साइकिल चलाने वालों, पैदल चलने वालों और जानवरों के साथ चलने वाले व्यक्तियों तथा बाइसिकिल सहित वाहनों की पार्किंग के लिए, यातायात की सुव्यवस्थित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सार्वजनिक मार्गों और गलियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगा।

(क) त्यौहारों पर ड्यूटी

भारत में विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित त्यौहार मनाये जाते हैं। त्यौहारों के अवसर पर जेबकतरों, दुश्चरित्र व्यक्तियों, बदमाशों और अन्य अपराधियों की ओर पुलिस को विशेष सतर्कता रखनी होती है क्योंकि अपराधी अक्सर अपराध करने के लिए ऐसे ही अवसरों को तलाशते हैं। ऐसे में पुलिस का मुख्य कार्य त्यौहारों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, अपराधियों को अपराध करने से रोकना तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करना होता है ताकि त्यौहार पर शान्ति व्यवस्था बनी रहे।

(१) त्यौहार किस प्रकार का है इसकी भली–भाँति कर्मचारियों को जानकारी होनी चाहिए।

(२) त्यौहारों पर किस प्रकार की प्रक्रिया जैसे दीवाली में पटाखे, होली में रंग, ईद पर नमाज व मोहर्रम पर ताजिए निकालना आदि की भली–भाँति जानकारी होनी आवश्यक है।

(३) जिन क्षेत्रों में त्यौहार मनाया जा रहा हो उस क्षेत्र के थाने के त्यौहार रजिस्टर से विगत वर्षों में इस त्यौहार पर हुई घटनाओं अथवा की गई पुलिस व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लेना चाहिए।

(४) समाज विरोधी क्रिया–कलापों में लगे व्यक्ति, अपराधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखनी चाहिए।

(५) यदि कोई अप्रिय घटना घटित हो तो उसकी सूचना तुरन्त उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए व स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहें।

(६) त्योहारों पर साम्प्रदायिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है, अतः सामुदायिक सम्पर्क समूहों के माध्यम से विवादों का समाधान समय पर कर लेना चाहिए।

(ख) मेला ड्यूटी

पुलिस प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य मेले में आने जाने वाले लोगों के जीवन व सम्पति की रक्षा करना, भीड़–भाड़ को व्यवस्थित करना तथा अपराधिक घटनाओं को घटित होने से रोकना है:–

(१) मेलों के अवसर पर पुलिस प्रबन्ध मेला समाप्त होने तक २४ घण्टे चलता है, जिसमें प्रायः एक कानि० की ड्यूटी ८ घण्टे या अधिक समय तक होती है।

(२) मेले में समाज विरोधी तत्वों, विशेषकर लुटेरों, चोर तथा जेबकतरों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए।

(३) अधिक भीड़–भाड़ वाली जगहों पर पुलिस कर्मियों को यदि सादा कपड़ों में ड्यूटी में लगाया गया हो तो ऐसी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए, जो असामान्य लग रही हों ताकि आंतकवादी घटनाओं को रोका जा सके।

(४) मेले में खोए एवं पाये व्यक्तियों की मदद कर उन्हें खोए पाए केन्द्र में ले जाना चाहिए।

(५) सूचनाएं एकत्र करने के लिए अन्य पुलिस कर्मियों से भी तालमेल बनाए रखना चाहिए।

(६) यदि कोई अप्रिय घटना घटित हो तो उसकी सूचना तुरन्त उच्चाधिकारियों को देनी चाहिए तथा पीड़ित व्यक्ति व सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए।

(७) पुलिसकर्मी को सभी मेला स्थलों, वहाँ पर पहँचने के मार्गों, ठहरने के स्थानों एवं उनको उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं का ज्ञान होना चाहिए।

(८) संवेदनशील स्थानों की जानकारी होनी चाहिए।

(९) यदि सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगी हो तो अवांछनीय तत्वों पर दृष्टि रखें।

(१०) महिला पुलिस महिला अपराधियों पर दृष्टि रखें।

(ग) जुलूस ड्यूटी

भारत एक गणतन्त्रात्मक, समाजवादी, संप्रभुता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदाय तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के लोग निवास करते हैं। समय–समय पर विभिन्न प्रयोजनों धार्मिक, राजनैतिक, श्रमिक, विद्यार्थी आदि हेतु जुलूसों का आयोजन किया जाता है। जुलूस के अवसरों पर पुलिस तैनात की जाती है, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। पुलिस को

शेष पृष्ठ ४ पर .....

आपके विचार

आदरणीय सम्पादक जी,
सादर नमस्कार!

मैं वर्षों से आपकी ***लोक पुलिस*** पत्रिका का अध्ययन करता रहा हूँ। पत्रिका को पढ़ने से हमें कई नइ चीज़ें सीखने को मिली जिससे हमारी जानकारी बढ़ी है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं बालाघाट ज़िला, मध्य प्रदेश में आरक्षक के पद पर तैनात हूँ। अपनी ६ वर्षों की पुलिस सेवा में पुलिस को जो जाना जो परखा वो काफ़ी बेसुरा है हमारे ज़िले में एक तरफ पिछड़ी जनजाति के बैगा जाति के ८वीं पास होने पर भी डायरेक्ट पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जा रहा है, जो भर्ती होने के बाद जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं तो वे सभी नशे के शिकार हो जाते हैं। हालांकि, नशे की लत तो यहाँ समान रूप से सभी जाति के पुलिसकर्मियों में पाई जाती है लेकिन इसी को आधार बनाकर यहाँ दो तरह के नियम विभाग में आंतरिक तौर पर चलते हैं जिसमें सामान्य जाति के लोगों को छोटी गलती में भी गंभीर दण्ड, वेतन वृद्धि या सेवा से पृथक आदि कर दिया जाता है लेकिन दूसरी जातियों के साथ ऐसा नहीं है। जिसका परिणाम यहाँ यह है कि इस ज़िले में ३००-४०० पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनके कारण सरकार को हर महीने लाखों का नुकसान होता है। क्योंकि वे काम तो कुछ नहीं करते लेकिन नकारा नियमों के चलते वेतन पूरा लेते हैं। इसलिए, यहाँ की इस समस्या को ***लोक पुलिस*** द्वारा उजागर करने का कष्ट करें।

इसके अलावा आपसे यह भी अनुराध है कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि यह पत्रिका छोटे कर्मचारियों को भी पढ़ने के लिए सरलता से उपलब्ध हो सके। आपने इस पत्रिका से कई रोचक और सूझ–बूझ पूर्ण जानकारी हम तक पहुँचाई है उसके लिए धन्यवाद।

आरक्षक, बालाघाट
सदस्य, मध्य प्रदेश पुलिस

सम्पादक महोदया,
नमस्कार!

सौभाग्यवश मुझे ***लोक पुलिस*** पत्रिका मेरे निकटतम पुलिस स्टेशन पर पढ़ने को मिली। लेकिन यह मेरे थाने में नहीं आती है। आशा है, आप इसे मेरे पते पर आवश्य भेजेंगे। पत्रिका का प्रत्येक पाठ ज्ञानवर्द्धक है।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव भी है कि इसमें पृष्ठों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लेखों की संख्या में वृद्धि हो।

निशांत गौरव
थानाध्यक्ष, बसंत पट्टी
ज़िला–शिवहर, बिहार–८४३३३४

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

वेबसाईट पर एफ.आई.आर. की कॉपी

उडिशा में अब लोगों को एफ.आई.आर. की कॉपी लेने के लिए थाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एफ.आई.आर. की कॉपी सरकारी वेबसाईट पर दर्ज होने के २४ घण्टों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

हालांकि, वेबसाईट पर वही एफ.आई.आर. डाले जाएंगे जो असंवेदनशील प्रकृति के हों। राज्य अपराध शाखा द्वारा जारी एक दिशा–निर्देश में ३१ जनवरी २०१३ को एफ.आई.आर. को वेबसाईट पर डालने की सभी यंत्रावलियों को पूरा करने की समय सीमा तय की गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और दिल्ली के बाद उडिशा इस पद्धति को अपनाने वाला दूसरा राज्य हो जाएगा। इसके साथ ही, एक और सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि आरोपी या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे एफ.आई.आर. में आरोपित होने की शंका हो, वह अपने प्रतिनिधि द्वारा इंस्पेक्टर इंचार्ज/ डी.सी.पी./एस.पी. कार्यालय में एक आवेदन और ६ रुपए नकद फीस जमा कराने पर तथा बाकी अन्य पृष्ठों के लिए २ रुपए प्रति पेज के अनुसार फीस जमा कर एफ.आई.आर. की कॉपी ले सकता है।

जैसे ही एफ.आई.आर. के लिए आवेदन प्राप्त किया जाता है, थाने पर उपस्थित ड्यूटी अफसर का काम होगा कि वह आवेदक को पावती दे और इस आवेदन को आई.आई.सी. के समक्ष प्रस्तुत करे जिन्हें इसकी 'संवेदनशीलता' को मापना होगा और इसकी मनाही के लिए डी.सी.पी. या एस.पी. को रिपोर्ट भेजना हेगा। डी.सी.पी. और एस.पी. आवेदन को स्वीकार करने के लिए किसी डी.एस.पी. या ए.सी.पी. स्तर के अधिकारी को नामजद कर सकते हैं।

संवेदनशीलता रिपोर्ट के आधार पर, डी.सी.पी., ए.सी.पी. या नामजद अधिकारी तय करेंगे कि उक्त एफ.आई.आर. को दिया जा सकता है कि नहीं और वेबसाईट पर डालना है या नहीं। अगर केस को संवेदशील नहीं माना गया है तब डी.सी.पी. और एस.पी., ज़िला अपराध रिकॉर्ड शाखा या थाने को आवेदन के २४ घण्टों के भीतर इसकी कॉपी देने को कहेंगे। अगर इसके लिए मना करना हो तब भी पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी।

उडिशा पुलिस द्वारा असंवेदनशील एफ.आई.आर. को पब्लिक डोमेन में डालने की बात निःसंदेह ही सराहनीय है और आम परिस्थितियों में लोगों को इस सुविधा से सहजता प्राप्त होगी। लेकिन, दूसरी ओर आरोपी द्वारा किसी एफ.आई.आर. में नामजद होने की शंका की स्थिति में अगर 'संवेदनशीलता' को कारण बताकर उसे इसकी कॉपी नहीं दी गई तो वह अकारण ही उसके लिए कठिनाई खड़ा करना कहलाएगा। यदि केस संवेदनशील है तब भी वेबसाईट पर इसे न डालना न्यायसंगत माना जा सकता है लेकिन किसी शंकित आरोपी को इसकी कॉपी न देना अनुचित मालूम पड़ता है। फिर भी अगर ऐसा करना आवश्यक हो तब पुलिस को चाहिए कि इंकार करने के लिए आवेदक को सूचित करते समय उसके आरोपित होने या न होने की सच्चाई से भी अवगत करा देना चाहिए।

(सौजन्य : द हिन्दू डॉट कॉम २६ नवंबर २०१२)

स्वतंत्र भारत के प्रथम मुस्लिम आई.बी. प्रमुख

सरकार द्वारा तीन प्रमुख संगठनों– आर.ए.डब्ल्यू., आई.बी. और सी.बी.आई. के अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा, तकरीबन एक ही समय में किया जाना बेहद रोचक और ध्यान आकर्षित करने वाला है। इस प्रकार तीनों ही संगठनों के प्रमुख पद पर नियुक्ति एक ही समय में पहले कभी भी नहीं हुई है। शायद इससे भी अधिक आकर्षण का कारण इसलिए भी हो सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आई.बी. प्रमुख के पद पर एक मुसलमान आई.पी.एस. अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान समय में श्री रंजीत सिन्हा, श्री आसिफ़ इब्राहिम तथा श्री आलोक जोशी क्रमशः सी.बी.आई., आई.बी. एंव आर.ए.डब्ल्यू. के अध्यक्ष बनाए गए हैं।

मुसलमान, लोक सेवक के रूप में कर्तव्यनिष्ठा और देशप्रेम में तथा सुरक्षा बल में तथा जीवन के अनेकों क्षेत्र में किसी से कम नहीं रहे हैं। किसी पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति के धर्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसकी एक ही कसौटी होनी चाहिए वह क्षमता, योग्यता और अनुभव। इसलिए सभी ओर से श्री इब्राहिम इस कसौटी पर खरे पाए गए और इसके अलावा किसी और विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पाई गई।

सरकार का यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सी.वी.सी. द्वारा तैयार एक पैनल से किया गया है। जिस ढ़ंग से ये तीनों संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अपराधों की जाँच और रोकथाम का दायित्व निभाते हैं, इन्हें हर प्रकार के राजनैतिक, विचारधारा सम्बन्धी दबाव और पूर्वाभासों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार के घरेलू या बाहरी लालच, धमकी, डर, दबाव के लिए इनके पास कोई गुंजाईश नहीं होनी चाहिए और शायद नियुक्तियों के समय इस प्रकार की व्यक्तिगत निर्भयता वाले अधिकारियों का ही चयन उपरोक्त पदों के लिए किया जाता है। वर्तमान नियुक्तयाँ इस बात का एक बेहद अच्छा उदाहरण है कि उचित योग्यता के अलावा अपने देश में इतने बड़े और ज़िम्मेदारी वाले पदों पर नियुक्ति के लिए कोई दूसरा मानदण्ड नहीं है।

(सौजन्य : द हिन्दू बिज़नेसलाईन डॉट कॉम, २९ नवंबर २०१२)

वर्दी वाले अपराधी- कानून की गिरफ़्त में!

ठाणे के कल्याण अपराध शाखा के चार पुलिसकर्मियों को हाल ही में सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उन्होंने स्वंय ही एक बिल्डर के कार्यालय में रिवाल्वर रखकर उस बिल्डर से २० लाख रुपए की मांग की। उसके बाद बिल्डर से आर्मज़ ऐक्ट के अंतर्गत केस न दर्ज करने के लिए भी पैसे मांगे। इस प्रकार सबूतों की जालसाज़ी करने में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और ३ कांस्टेबल शामिल थे, हालांकि २ और कांस्टेबलों के सम्मिलित होने की बात भी सामने आई है लेकिन उनके विरुद्ध और अधिक सबूतो को एकत्रित किया जा रहा है। इस काम के लिए उन्होंने कार्यालय के एक कर्मचारी को सम्मिलित किया था। लेकिन, ये सभी पुलिसकर्मी इस बात से अंजान थे कि उनकी यह हरकत ऑफ़िस में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। इस केस में शुरुआती तौर पर तीन आरोपियों – जिसमें ए.एस.आई. प्रभाकर बोराते, कांस्टेबल तुलसीराम पावसे और पन्दारीनाथ कदम को रंगे हाथों पैसे लेते हिरासत में लिया गया था। इन्हें अपराध विरोधी शाखा की हिरासत में ही रखा गया था जबकि कॉल्सेवाड़ी थाना जहाँ एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी वहाँ कि पुलिस उनकी हिरासत की प्रतीक्षा में है।

ठाणे के इन पुलिसकर्मियों की यह हरकत पुलिस को प्राप्त व्यापक शक्तियों के दुरुपयोग का और पुलिसिया आतंक का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन, ऐसे केसों में कमी लाने और इन्हें पूरी तरह समाप्त करने की ज़िम्मेदारी भी स्वयं पुलिस विभाग और आपराधिक न्याय प्रणाली पर है ताकि विभागीय स्तर पर ऐसे कर्मचारियों को बचाने की कोशिश न हो बल्कि उन्हें दण्ड दिलाने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाए और अदालत में केस को उचित सबूतों के साथ प्रस्तुत किया जाए और उचित दण्ड मिले क्योंकि यही दण्ड कई दूसरों के लिए सबक होगा।

(सौजन्य : द टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ४ दिसंबर २०१२)

पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ते केस

बिहार में मानव अधिकार आयोग का गठन २००८ में किया गया था। पिछले ४ वर्षों में राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज किये गये केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने २००८ में केवल २६ केस दर्ज किये थे, जबकि २००६ में यह आँकड़ा बढ़कर ५५२ का हो गया था। हालांकि, २०१० में इस आँकड़े में गिरावट आई और यह २६७ हो गया। लेकिन, २०११ में इसमें बहुत अधिक परिवर्तन आया और यह आँकड़ा ३,८२७ तक पहुँच गया। जबकि, २०१२ के मई तक आयोग में पुलिस बरबर्ता से सम्बन्धित २,२४७ केस दर्ज किये जा चुके थे। इनमें लॉक–अप में थर्ड डिग्री प्रताड़ना, हिरासत में मौत तथा हिरासत में बलात्कार आदि से जुड़े मामले सम्मिलित हैं। प्रदेश आयोग के सदस्य पूर्व जज श्री राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि "पिछले ४ सालों में राज्य निकाय में कुल दर्ज केसों की संख्या १४,१६७ है जिसमें से ६५१३ केसों का निपटारा हो चुका है।"

उपरोक्त आँकड़ों को देखा जाए तो यह समझना कठिन है कि क्या प्रदेश में पुलिस प्रताड़ना के केसों में बढ़ोतरी हुई है या मानवाधिकार आयोग तक लोगों की पहुँच में वृद्धि हुई है। दोनों में से जो भी कारण हो लेकिन राज्य पुलिस की जनता के प्रति बरबर्तापूर्ण व्यवहार को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में राज्य पुलिस महानिदेशक जोकि एक बेहद लोकप्रिय शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके द्वारा अपने अधिनस्थों को जनता के मानवाधिकारों की सुरक्षा का पाठ पढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? और यदि उनकी ओर से कोशिश की जा रही है तो वह प्रभावकारी क्यों नहीं है? यह एक बेहद गंभीर विषय है जिस पर तुरन्त और लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है।

(सौजन्य : द टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १६ दिसंबर २०१२)

पृष्ठ ३ का शेष .....

निम्नलिखित जानकारियां हासिल करनी चाहिएः–

(१) जुलूस निकलवाने वाला व्यक्ति कौन है, और वह किस धर्म, जाति समुदाय से ताल्लुक रखता है।

(२) जुलूस किस राजनैतिक पार्टी का है तथा उसके नेतृत्व में कौन शामिल है।

(३) जूलूस किस तारीख को कौन–कौन से रास्तो से गुजरेगा।

(४) जुलूस में किस प्रकार के लोग शामिल हैं जैसे छात्र, श्रमिक, धार्मिक प्रवृत्ति इत्यादि।

(५) जुलूस का उद्देश्य क्या है और उसके आक्रामक या हिंसक होने की कितनी सम्भावना है।

(६) यदि जुलूस गैर राजनैतिक है तो कौन सी राजनैतिक पार्टियाँ डसको समर्थन दे रही हैं।

(७) जुलूस के मार्ग में क्या कोई धर्म विशेष या सम्प्रदाय के व्यक्तियों की आबादी या धार्मिक स्थल हैं तो उनकी विशेष जानकारी हासिल करें जिससे अगर साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने का डर हो तो निरोधात्मक कार्यवाही की जा सके।

(८) जुलूस की प्रकृति किस प्रकार की है। उसकी भावनायें, जोश, उत्तेजना किस प्रकार की है।

(९) अगर जुलूस पिछले वर्ष भी निकला था तो उसके परिणाम क्या थे।

जुलूस ड्यूटी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:-

(१) पुलिस साफ सुथरी वर्दी धारण करें ताकि लोगों के मन में उसका अच्छा प्रभाव पड़े।

(२) अपने व्यवहार को विनम्र एवं उदारणीय रखें।

(३) जुलूस में संयम, धैर्य व अनुशासन बनाये रखें।

(४) जुलूस पर नियन्त्रण उसको नेतृत्व कर रहे व्यक्तियों के माध्यम से रखें।

(५) जुलूस को निर्धारित मार्ग से ही लेकर जायें। उसके मार्ग में परिवर्तन न होने दें।

(६) जुलूस में अफवाहों को फैलने से रोकें वरना भगदड़, हो सकती है।

(७) पुलिस बल पर्याप्त संख्या में हो।

(८) जुलूस के लोगों का विश्वास जीतने का प्रयत्न करें कि आप शान्ति पूर्वक जुलूस की सुरक्षा के लिए है।

(९) जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों जैसे चौराहों, मोहल्लों और गलियों में पुलिस की पिकेट ड्यूटी लगाई जाये।

(१०) जुलूस से कुछ दूरी पर आगे एक पुलिस की टुकड़ी रहे जो, मार्ग की बाधाओं को दूर करती रहे।

(११) रिजर्व पुलिस बल रखा जाये जिसमें विभिन्न प्रकार के बल प्रयोग – लाठी, आँसू गैस, रबर बुलैट आदि के लिए पृथक–पृथक टोलियाँ हों।

(१२) सामान्य यातायात प्रभावित न होने पाये, इसके लिये पूर्व में ही यातायात सम्बन्धी योजना तैयार कर ली जायें।

(१३) झगड़े की सम्भावना प्रतीत होने पर कन्ट्रोल रूम को सूचित करें।

(सौजन्य : उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा सभी स्तर के पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली पुस्तिका के कुछ भाग)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org